


बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

आदेश

गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार के आदेश संख्या-जी/आपदा-06-03/2021-1008 दिनांक-06.02.2022 के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के नियंत्रणाधीन राज्य के सभी कौशल प्रशिक्षण संस्थान शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ दिनांक-07.02.2022 से 13.02.2022 तक कोविड अनुकूल व्यवहार संबंधी National Directives for COVID-19 Management (संलग्न) के अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खोले जाएंगे।

प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन का अनुमोदन प्राप्त है।




(अरविन्द कुमार)

मिशन निदेशक

बिहार कौशल विकास मिशन।

ज्ञापांक--BSDM/PMKVY-87/2020- 109 पटना, दिनांक- 07.02.2022

- प्रतिलिपि-1.सभी केन्द्र संचालक/ केन्द्र समन्वयक/ प्रशिक्षणार्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. परियोजना निदेशक, E&Y/MKCL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 3. सभी जिला नियोजन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 4. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
 5. सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक को सूचनार्थ प्रेषित।
 6. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
 7. अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
 8. माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



मिशन निदेशक,

बिहार कौशल विकास मिशन।